निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :— 22/2017 अपील
दायरा दिनांक :— 03.08.2017
निर्णय दिनांक :— 19.2.18

उनवान

रेखा बाई पुत्री किशोरीलाल पत्नी नन्नूलाल जाति मीणा निवासी हाल शान्तीनगर सालरखोह रोड हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
2. शिवनाथ पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा निवासी बामणखोह तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. रामनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी हरनावदाशाहजी
4. धूलीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी हरनावदाशाहजी
5. सूरजमल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी हरनावदाशाहजी
6. हीरालाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी हरनावदाशाहजी
7. श्यामसुन्दर पुत्र मानमल जाति ब्राहम्मण निवासी हरनावदाशाहजी
8. एस.बी.बी.जे. शाखा हरनावदाशाहजी जर्ये शाखा प्रबन्धक हरनावदाशाहजी
9. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद

अपील इन्तकाल नम्बर 1387 दिनांक 24.09.19997
फौती इन्तकाल ग्राम हरनावदाशाहजी
निर्णय दिनांक :— 19.2.18

अभिभाषक उपस्थित :— 1. दीनदयाल कुशवाह एड0

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नं0 1387 विरूद्व रेस्पो0 के न्यायालय मे इस आशय की पेश कि गई कि ग्राम हरनावदाशाहजी पटवार हल्का हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद मे खाता 802 की खसरा नंबर 1017 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा लगानी 2.72 खसरा नंबर 1018 रकबा 3 बीघा लगानी 9.75, खसरा नंबर 1019 रकबा 2 बिस्वा गे.मू.चाह, खसरा नंबर 1021 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा लगानी 6.18, खसरा नंबर 0.08 गे.मू. आबादी कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 05 कुल लगानी 18.64 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 स्थित है, जो खातेदार शिवनाथ पुत्र किशोरीलाल कौम मीणा सा. बामणखोह रहन एस.बी.बी.जे. शाखा हरनावदाशाहजी दर्ज है, यह पुश्तैनी भूमि है। इसी प्रकार ग्राम हरनावदाशाहजी की खाता संख्या 624 की खसरा नंबर 938/2 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा लगानी 11.25 रूपये, खसरा नंबर 939/1 मिन 1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा लगानी 13.25 रूपये, खसरा नंबर 943 रकबा 4 बिस्वा गे.मू. चाह, खसरा नंबर 944 रकबा 09 बिस्वा लगानी 2.25 रू. कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 11 कुल लगानी 26.75 दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2055—2058

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

स्थित है, जो खातेदार शिवनाथ वल्द किशोरीलाल कौम मीणा सा. बामणखोह हिस्सा 1/3 नामान्तरण नम्बर 1387 से रामनारायण, धूलीलाल सूरजमल हीरलाल पिता रामचन्द्र हिस्सा 1/3 कौम मीणा श्यामसुन्दर पुत्र भानमल हिस्सा 1/2 सा. देह दर्ज भूमि स्थित है, पुश्तैनी भूमि है, सब का बराबर हिस्सा है। ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद की खाता संख्या 623 पुराना 49, 642 की खसरा नंबर 938/3 रकबा 0.08 बिस्वा गे.मू. आबादी खसरा नंबर 1017 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा लगानी 2. 75 , खसरा नंबर 1018 रकबा 3 बीघा लगानी 9.75, खसरा नंबर 1019 रकबा 2 बिस्वा गे.मू. चाह, खसरा नंबर 1021 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा लगानी 9.19 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा दर्ज जमाबन्दी है, जो खातेदार शिवनाथ किशोरीलाल कौम मीणा सा. बामणखोह नाम नम्बर 1387 से खसरा नंबर 1017, 1018, 1019, 1021, रहन एस.बी.बी.जे. शाखा हरनावदाशाहजी जो नामान्तरण नम्बर 1634 दिनांक 07.05.2001 से सम्पूर्ण भूमि एस.बी.बी.जे. शाखा हरनावदाशाहजी मे रूपये ...000/–रूपये मे रहन करने का आदेश हुआ, जो जमाबन्दी से सम्वत् 2055–2058 दर्ज जमाबन्दी स्थित है, एवं इसी प्रकार पुश्तैनी भूमि है, सबका बराबर हिस्सा है।

ग्राम हनुमन्त खेडा हल्का मानकचौक तहसील कुम्भराज जिला गुना मध्यप्रदेश मे खसरा नंबर 112/1 रकबा 2.017 हेक्टर, खसरा नंबर 115 रकबा 2.027 हेक्टर, खसरा नंबर 654 रकबा 2.748 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.792 हेक्टर कुल लगानी 132.60 रूपये दर्ज जमाबन्दी वर्ष 2014–2015 स्थित है, जो खातेदारान शोनाथ पुत्र किशोरीलाल रेखाबाई पुत्री किशोरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम दर्ज है, पुश्तैनी भूमि है, जिसमे सबका बराबर हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता भी श्री किशोरीलाल पुत्र दुदा मीणा दिनांक 03.07.1997 को होने के बाद ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी के केम्प छीपाबड़ौद मे अपीलान्ट के पिता फौत होने के बाद इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997 तस्दीक किया गया है, जिसी पटवाकर हल्का हरनावदाशाहजी के तत्कालीन पटवारी के द्वारा बिना जाचें किये ग्राम पंचायत सहजनपुर के प्रमाण पत्रानुसार उक्त इन्तकाल नंबर 1387 मे रिपोर्ट लगायी गई थी, किशोरीलाल के स्थान पर एक मात्र पुत्र शिवनाथ मौजूद है, जो सरासर बदनियती दर्शाता है, जो काबिल खारिजी है। उक्त इन्तकाल मे सजरा गलत अंकित किया है, जिसमे किशोरीलाल के फौत दिनांक 03.07.1997 के बाद पुत्र शिवनाथ पुत्री नही बेवा नही का बनाया गया है, जो सरासर गलत बनाया है, जबकि किशोरीलाल की पुत्री रेखाबाई अपीलान्ट मौजूद है, एवं उक्त तथ्य को साबित करने के लिये अपीलान्ट रेखाबाई पुत्री किशोरीलाल मीना व शोनाथ पुत्र किशोरीलाल मीना के समकालीन खाता ग्राम हनुमन्त खेडा तहसील कुम्भराज की जमाबन्दी अपील के साथ संलग्न की जा रही है, एवं उक्त जमाबन्दी का अंकन अपील की मद् नम्बर 4 मे अंकन की है, जिसमे साबित होता है, कि इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997 जो खोला गया फर्जी तरीके से तथा छुपा कर खोला गया है, जो काबिल खारिजी है।

उक्त इन्तकाल नम्बर 1387 दिनांक 24.09.1997 मे तत्कालीन सरकिल कानूनगो के द्वारा जांच रिपोर्ट का अंकन सही बताया है, जो पृष्ठांकन भी मिलीभगत से खातेदार किशोरीलाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 साठगांठ करके झूठा पृंष्ठांकन किया है, इस तथ्य को छुपाया गया व कोई पुत्री होना नही बताया है, काबिल खारिजी है। पटवारी हल्का तत्ताकालीन तत्कालीन कानूनगो की रिपोर्ट पर गौर नही करके बिना जांचे किये संरपच ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी के तत्ताकालीन सरपंच व द्वारा बिना कौरम की सहमति के इन्तकाल फौती तस्दीक किया है, जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से मिलीभगत करके सरासर फर्जी तरीके से रिपोर्ट पटवारी 24.09.97 कानूनगो पृष्टकंन 24.09.1997

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

सहजनपुर पंचायत का प्रमाणपत्र दिनांक 24.09.97 एवं तरदीक करने की तारीख 24.09.97 सारी कार्यवाही एक ही समय मे करके फर्जी इन्तकाल तरदीक कर अपीलान्ट के साथ कुठाराघात किया है, एवं उसके हको का कुठाराघात करके गला घोट दिया है, जो काबिल खारिजी है, इन्तकाल नम्बर 1387 दिनांक 24.09.97 को तस्दीक के समय कोई भी कौरम के सदस्यो के हस्ताक्षर भी नही है, इससे साबित होता है, कि सारा कार्य मिलीभगत से फर्जी हुई है। फौती इन्तकाल 1387 निरस्त करते हुये पुनः फौती इन्तकाल किशोरीलाल पुत्र दुदा मीणा का खोला जावे व अपीलान्ट का नाम जोडा जावे। अपीलान्ट (प्रार्थीया) को खाते की नकल लेने पटवार हल्का के पास नकल लेने पर 26.07.2017 दिनांक को पटवारी हल्का हरनावदाशाहजी ने बताया कि तुम्हारे नाम तो कोई खाते मे जमीन ही नही है। तब सारे खातो की नकले लेने पर जानकारी हुई है। और यही तिथि बिनाय मुखासमत करार दिया जाता है, यही तिथि 26.07.2017 वाद कारण नियत किया जाता है। अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संलग्न किया जा रहा है, कि अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानी जावे।अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ता 7 व 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल इन्तकाल ग्राम हरनावदाशाहजी इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम हरनावदाशाहजी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 802, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 624, नकल जमाबनदी 2055–58 खाता संख्या 623, नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा तहसील कुम्भराज जिला गुना वर्ष 2014–15 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है, कि किशोरीलाल पुत्र दुदा जाति मीना अपीलान्ट के पिता फौत होने के बाद इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997 तस्दीक किया गया। ग्राम पंचायत सहजनपुर के प्रमाण–पत्र अनुसार उक्त इन्तकाल नंबर 1387 मे किशोरीलाल के स्थान पर एक मात्र पुत्र शिवनाथ मौजूद होना बताया। जबकि अपीलान्ट भी किशोरीलाल की पुत्री मौजूद थी। इन्तकाल मे सजरा गलत दर्शाया गया है। जबकि सजरे मे पुत्री नही होना बताया है। किशोरीलाल की एक पुत्री रेखा बाई अपीलान्ट मौजूद है। इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997 मे मृतक किशोरीलाल का तस्दीक किया गया है, जो काबिल खारिजी है। मृतक किशोरीलाल की पुत्री साबित करने के लिए ग्राम हनुवंतखेडा तहसील कुम्भराज जिला गुना की जमाबन्दी पेश की है, जिसमे श्योनाथ पुत्र किशोरीलाल, रेखा बाई पुत्री किशोरीलाल जाति मीना दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। तथा इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997 खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल इन्तकाल संख्या 1387 दिनांक 24.09.1997 ग्राम हरनावदाशाहजी मृतक किशोरीलाल के सजरा मे शिवनाथ पुत्र होना एवं पुत्री व बेवा नही होना अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदाशाहजीसम्वत् 2071–74 खाता संख्या 802 के अनुसार शिवनाथ पु किशोरीलाल मीना दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 624 मे शिवनाथ व किशोरीलाल हिस्सा 1/3 दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 खाता संख्या 623 मे भी

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

शिवनाथ पुत्र किशोरीलाल मीणा दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा तहसील कुम्भराज जिला गुना वर्ष 2014–15 के अनुसार शिवनाथ पुत्र किशोरीलाल, रेखा बाई पुत्री किशोरीलाल दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि अपीलान्ट मृतक किशोरीलाल की जायज सन्तान है, जिसका फौती इन्तकाल नंबर 1387 मे नाम दर्ज नही किया। अपीलान्ट रेखा बाई मृतक किशोरीलाल की जायज पुत्री होने से इन्तकाल नंबर 1387 काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 1387 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस्वीकार कि जाती है। इन्तकाल नंबर 1387 दिनांक 24.09.1997 वाके ग्राम हरनावदाशाहाजी खारिज किया जाता है। तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्देशित किया जाता है, कि मृतक किशोरीलाल की जायज वारिस अपीलान्ट रेखा बाई व रेस्पोंडेन्ट नंबर 2 के अलावा अन्य कोई वारिस हो तो उसकी जांच करने के बाद इन्तकाल खोला जाकर तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार छीपाबड़ौद को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड़ अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner